भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3270
गुरुवार, 20 मार्च, 2025/29 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई अड्डों पर इकोनॉमी ज़ोन

3270. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार का विचार हवाई अड्डों पर उपलब्ध खाद्य एवं पेय पदार्थों की उच्च लागत को न्यूनतम करने के लिए हवाई अड्डों पर इकोनॉमी जोन स्थापित करने का है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा हवाई अड्डों पर ऐसे इकोनॉमी जोन की स्थापना के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है; और
(ग) क्या सरकार का विचार मदर डेयरी, आविन, अमूल और नंदिनी जैसी सरकारी डेयरी कम्पनियों को हवाई अड्डों के उक्त इकोनॉमी जोन में शामिल करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग) : यात्रियों को किफायती भोजन उपलब्ध कराने की नई पहल के रूप में कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद हवाईअड्डों पर 'उड़ान यात्री कैफे' की अवधारणा शुरू की गई है।

अन्य हवाईअड्डों पर 'उड़ान यात्री कैफे' या इसी तरह के कम लागत वाले आउटलेट की स्थापना, संबंधित हवाईअड्डा प्रचालकों के विवेक पर निर्भर है। खाद्य और पेय पदार्थ प्रदान किए जाने सहित गैर-वैमानिक सेवाओं के लिए मूल्य निर्धारण हवाईअड्डा प्रचालकों और रियायतग्राहियों द्वारा बाजार की गतिशीलता और वाणिज्यिक विमर्शों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, क्योंकि ये सेवाएँ सरकार द्वारा विनियमित नहीं होती हैं।

राज्य द्वारा संचालित डेयरी कंपनियों को शामिल करने के संबंध में, हवाईअड्डा प्रचालक प्रचालन व्यवहार्यता और वाणिज्यिक मूल्यांकन के आधार पर ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ने के लिए स्वतंत्र हैं।

******